

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256145
SG-DL-E-07082024-256145

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 151
No. 209]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946	[N. C. T. D. No. 151

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

फा. सं. 23 / 13 / एल.ओ.ओ.पी. / 2020 / विसस-7 / विधायी / 5952.—माननीय अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2001 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) की धारा-2 के अनुसरण में दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता, जो कि सदन में सरकार के विपक्ष में सर्वाधिक सदस्यों वाले दल के नेता हैं, को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की है।

रंजीत सिंह, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th August, 2024

F. No. 23/13/L.O.O.P/2020/LAS-VII/Leg/5952.—The Hon'ble Speaker has recognized Shri Vijender Gupta, Member of Delhi Legislative Assembly, who is the Leader of the House of the Party in Opposition to the Government having the greatest numerical strength, as Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect in terms of Section 2 of the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salary and Allowances) Act, 2001(Delhi Act No. 6 of 2002).

RANJEET SINGH, Secy.